

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची - 834001

विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :-21.11.2023

विज्ञापन संख्या:-23/2023

झारखण्ड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक अर्हताधारी भारतीयों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

1. पद का नाम एवं वेतनमान :-

क्र०सं०	पद का नाम	पद कोड	वेतनमान
1.	Registrar	A	Academic level 14 with rationalized entry pay of Rs. 1,44,200/-
2.	Finance Officer	B	Academic level 14 with rationalized entry pay of Rs. 1,44,200/-
3.	Controller of Examinations	C	Academic level 14 with rationalized entry pay of Rs. 1,44,200/-
4.	Assistant Registrar	D	Academic level 10 with rationalized entry pay of Rs. 56,100/- and after completion of 8 years academic level 11 with rationalized entry pay of Rs. 67,700/-

2. रिक्तियों का विवरण:-

University Name	Registrar							Finance Officer							Controller of Examinations							Assistant Registrar						
	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	EWS	TOTAL	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	EWS	TOTAL	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	EWS	TOTAL	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	EWS	TOTAL
Ranchi University, Ranchi	01	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	02
Vinoba Bhave University, Hazaribagh	01	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sido Kahnu Murmu University, Dumka	01	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	-	01	01	01	-	-	-	-	02
Nilambar- Pitambar University, Medininagar, Palamu	01	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	-	01	-	01	-	-	-	-	01
Kolhan University	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	02
Jamshedpur Women's University	01	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
Binod Bihari Mahto Koyalanchal University	01	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	06	-	-	-	-	-	06	07	-	-	-	-	-	07	03	-	-	-	-	-	03	03	04	-	-	-	-	07

Note :

- उपरोक्त तालिका के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के विरुद्ध आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं, परन्तु उन्हें उक्त अनारक्षित श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- अनारक्षित श्रेणी को छोड़कर आरक्षित श्रेणी हेतु चिन्हित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

3. अर्हता एवं अनुभव:-

Sl. No.	Name of Post	Qualification & Experience
1.	Registrar	<p>1. Master's Degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.</p> <p>2. At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Comparable experience in research establishment and/or other Institutions of higher education.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post.</p>
2.	Finance Officer	<p>1. Master's Degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.</p> <p>2. At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Comparable experience in research establishment and/or other Institutions of higher education.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post.</p>
3.	Controller of Examinations	<p>1. Master's Degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.</p> <p>2. At least 15 years of experience as Assistant Professor in the Academic Level 11 and above or with 8 years of service in the Academic Level 12 and above including as Associate Professor along with experience in educational administration.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Comparable experience in research establishment and/or other Institutions of higher education.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post.</p>
4.	Assistant Registrar	<p>1. Master's Degree with at least 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed.</p> <p><u>Experience:</u> Five years of supervisory experience. The experience should be in establishment/legal matters in a Government/ Semi Government/ Public Sector/ Autonomous organizations/ University/ Educational Institutions of Higher Learning and having a good working Knowledge of general administration and rules and regulations relating to University.</p>

Note :-

- I. The appointment of Registrar, Controller of Examinations and Finance Officer shall on the basis of direct recruitment for a tenure of four years, which may be extended by the order of the syndicate for further four years only.
 - II. The age of superannuation, shall continue to be 60 years for Registrar/Finance Officer/Controller of Examinations/Assistant Registrar.
4. **The experience certificate and signing Authority:**
- a. The experience certificates have to be uploaded online during the registration itself.
 - b. The experience of candidates will be considered only up to the last date of submission of online application forms.
 - c. The experience certificates of candidates who worked/are working in Government/ Affiliated colleges including minority colleges/ Accredited Research Institutions should be signed by the respective Principal/Director of the College, Institute/Head of the institution.

- d. The experience certificates of candidates who worked/are working in Universities/Constituent colleges/ Deemed Universities/Accredited Research Institution should be signed by the concerned Registrar of the University.
- e. The experience obtained in foreign countries will also be considered.
- f. In case of any false certificate, University will initiate criminal action against the erring individual. All experience certificates will be verified by a competent authority during certificate verification.

5. उम्र एवं अनुभव गणना की तिथि:-

- (i) साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों के उम्र गणना की तिथि-01.08.2023 होगी एवं अनुभव गणना की तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि होगी।
- (ii) कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुलसचिव पद के अभ्यर्थियों के लिये सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।
- (iii) चयन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी 60 वर्ष प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुलसचिव पद के लिये 55 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जायेगी।

6. चयन का आधार :-

- (i) **Scheme of Selection:-** The scheme for selection involves ranking and shortlisting of candidates followed by preparation of rank-cum-reservation roster for document verification and interview. Marks will be awarded as decided by Jharkhand Public Service Commission to all candidates based on the certificates uploaded along with the Application Form after due verification, to which shall be added the marks awarded in the interview.

- a) **Stage-I:** After the completion of online registration process, a preliminary merit list will be prepared and published on the concerned website for the candidates' feedback or objection, if any, which thereby will be scrutinized and provisional list of eligible candidates will be prepared.

From the provisional list which will be published, candidates will be shortlisted based on the information and certificates uploaded during online registration. Thereafter, the rank-cum-reservation roster will be prepared. The provisional list will be prepared on the basis of information provided and documents submitted by the candidates online.

- b) **Stage-II:-Certificate verification and Interview:**

Interview will be conducted by interview Boards to be constituted by the Jharkhand Public Service Commission. At the time of document verification for interview, all original certificates in support of reservation, qualifications, experience, etc. will be verified and in case of any discrepancy between the certificates and information provided in the application form, the candidature of the applicant concerned shall be cancelled and to maintain ratio for interview, candidature of next candidate shall be considered.

- (ii) आयोग के Rules of Procedure, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के लिए अंकों का निर्धारण निम्नवत् है:-

A. For educational qualification:- Maximum marks-100

Qualification	Marks
Matric	0.15 x Percent obtained in Matric
Intermediate	0.20 x Percent obtained in Intermediate
Graduation	0.25 x Percent obtained in Graduation
Post Graduation	0.40 x Percent obtained in Post Graduation

नोट:-यदि किसी अभ्यर्थी का मैट्रिक परीक्षा में प्राप्तांक 80% है, तो उपरोक्त विवरणी के अनुसार उसका प्राप्तांक मैट्रिक परीक्षा हेतु निम्नवत् होगा-

$$\text{अंक} = 0.15 \times 80 = 12$$

B. For interview :- Maximum marks-100

- (iii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-3928, दिनांक-11.08.2020 के आलोक में न्यूनतम अहर्ताक निम्नवत् होगा:-

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

नोट:-उक्त न्यूनतम अहर्ताक कुल 200 अंकों पर लागू होगा।

7. आरक्षण का लाभ:- आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

- (a) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र :-
- आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों एवं अनारक्षित कोटि की महिलाएँ जिनके द्वारा अधिकतम उम्र सीमा का लाभ लिया जा रहा है को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
 - शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (b) जाति प्रमाण-पत्र आवेदक/आवेदिका के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।
- (c) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-235 दिनांक-10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- (d) अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किये गये प्रविष्टि के अनुरूप आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (e) जाति प्रमाण-पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

अनुसूचित जनजाति :- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों (केवल Assistant Registrar के पद के लिए) को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2669, दिनांक-10.05.2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र-5/प्रपत्र-V (संशोधित/Amended), पत्रांक-1361, दिनांक-03.03.2022 एवं पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-4/प्रपत्र-IV (संशोधित/Amended) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर

उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा।

विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोट:- केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

8. परीक्षा शुल्क:-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (v) उपर्युक्त कंडिका-(iii एवं iv) में उल्लेखित रियायतीदर पर परीक्षा शुल्क जमा करने/परीक्षा शुल्क में छूट हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा। जाति प्रमाण/निःशक्तता प्रमाण पत्र आयोग के वेबसाइट पर जाति प्रमाण पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र हेतु उपलब्ध प्रपत्र में निर्गत होना आवश्यक होगा।
- (vi) प्रत्येक विज्ञापित पदों के लिए अलग-अलग आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देना अनिवार्य होगा।

नोट:- अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जायेगा।

9. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :

- (a) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति कंडिका-10 के अनुसार सभी वांछित प्रमाण-पत्रों के स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित प्रति निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट एवं हाथों-हाथ आयोग कार्यालय के पते "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001" पर निर्धारित तिथि-21.11.2023 अपराह्न 5:00 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy लिफाफे के ऊपर "विज्ञापन संख्या-23/2023" तथा "पद का नाम-....." मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।
- (b) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।
- (c) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत

- (r) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (s) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे अथवा तत्समय अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक Applied for NOC संबंधी सूचना ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि करेंगे तथा समर्पित आवेदन की मूल प्रति Document Verification के समय में प्रस्तुत करेंगे।
- (t) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (u) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :-

मुद्रित आवेदन पत्र (स्वअभिप्रमाणित) के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में दो सेटों में क्रमवार अवश्य संलग्न कर भेजना सुनिश्चित करें:-

- Printed copy of Examination Fee Receipt.
- 10th/Matriculation Certificate and Mark Sheet.
- 12th/Intermediate Certificate and Mark Sheet.
- Graduation Certificate and Mark Sheet.
- Post Graduation Certificate and Mark Sheet.
- M.Phil Degree/Provisional Certificate or Notification (If applicable).
- Ph.D Degree/Provisional Certificate or Notification (If applicable).
- Caste Certificate in prescribed format as mentioned in the clause 7 of the advertisement (If applicable).
- Local residence certificate (If applicable).
- Certificate of Physical Disability issued by competent authority as per clause 8 of the advertisement (If applicable).
- OGPA/CGPA/Grade Points to percentage conversion document for 10th / Matriculation, 12th/Intermediate, Graduation and Post Graduation (If applicable).
- Experience Certificate as per clause 4 along with;
 - Appointment letter/Notification.
 - Joining letter.
 - Joining acceptance letter.
- NOC (No Objection Certificate) issued by competent authority i.e. present Employer (If applicable).
- Aadhaar or other Personal Identification document.
- Any other documents as per the advertisement and information given in the application form.

11. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated

document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the Examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the interview room.
- (l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी, जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. अंतिम तिथि :-

- (i) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक:- 03.10.2023 से 03.11.2023 शाम 05:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ii) दिनांक:- 03.11.2023 के बाद दिनांक:-06.11.2023 शाम 5.00 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (iii) स्वअभिप्रमाणित मुद्रित आवेदन पत्र की प्रति एवं उपर्युक्त कंडिका-10 में उल्लेखित संबंधित सभी प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ A4 Size papers हेतु उपयुक्त लिफाफा में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या हाथों-हाथ (कार्यावधि में) इस प्रकार भेजे कि दिनांक-21.11.2023 अपराह्न 5:00 बजे तक Controller of Examinations, Jharkhand Public Service Commission, Circular Road, Ranchi-834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (iv) आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

(v) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/-
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।